

प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक -1017 /23
कोर्ट केस दिनांक 11.11.2011 के क्रम में वांछित
सूचना/प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग निर्माण इकाई घाटमपुर द्वारा एन०एच०-86 के (चैनेज कि०मी० 20.8-61.9) के किनारे से वाटर कंरीज सिस्टम हेतु घाटमपुर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट जिला-कानपुर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पाइप लाइन डालने से प्रभावित संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वन स्वरूप के रूप में चिन्हित भूमि शामिल नहीं है।

Avinash
20/7/18
(अरविन्द कुमार यादव)
(अप्रभावीय मिट्टी संरक्षक)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर